



कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार।

Tel/Fax No. 01382.228467

E.mail.dfo_lansdowne@yahoo.com

पत्रांक:- 871 /12-1, दिनांक, कोटद्वार, 06/सितम्बर/ 2024

सेवा मे

वन संरक्षक,
शिवालिक वृत्त,
उत्तराखण्ड, देहरादून

विषय:- जनपद पौड़ी गढवाल में जमिंग एडवेंचर्स प्राइवेट लि० के पक्ष में 0.157 है० वन भूमि के लीज नवीनीकरण के संबंध में। (Online Proposal No. FP/UK/OTHERS/9959/2015)।

संदर्भ:- आपका पत्रांक 2209/12-1 दिनांक 24.08.2024, प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्दिरा नगर,फॉरेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून का पत्रांक 429/12-1 दिनांक 17.08.2024 एवं भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की फाईल संख्या-8बी०/यू०सी०पी०/०९/७१/२०१८/एफ०सी०/५५१ दिनांक ३१.०७.२०२४.

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि जनपद पौड़ी गढवाल में जमिंग एडवेंचर्स प्राइवेट लि० के पक्ष में 0.157 है० वन भूमि के लीज नवीनीकरण प्रस्ताव में भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्र सं० ०८बी०/यू०सी०पी०/०९/७१/२०१८/एफ०सी०/५५१ दिनांक ३१.०७.२०२४ के द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का बिन्दुवार निस्तारण निम्नवत सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

क्र०सं०	आपत्तियाँ	निस्तारण
1	The state Forest Department / divisional Forest Officer shall certify that the user agency has not carried out any construction work after lapse of lease period .	बिन्दु संख्या ०१ के क्रम में अवगत कराना है कि लीज धारक/प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त लीज के वर्ष २०१५-१६ में कालातीत होने के पश्चात् कोई भी नया निर्माण कार्य नहीं किया गया है। उक्त के सम्बन्ध में पुष्टि अभिलेख एवं फोटोग्राफ संलग्न है। (संलग्न-१)
2	The DFO shall certify that there is no violation of Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhinyam, 1980 and Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Rules, 2023.	बिन्दु संख्या ०२ के क्रम में अवगत कराना है कि वर्तमान में लीज धारक द्वारा वन (संरक्षण एवं सर्वधन) अधिनियम १९८० व वन (संरक्षण एवं सर्वधन) नियम २०२३ का उल्लंघन नहीं किया गया है। (प्रमाण पत्र संलग्न है।)

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(नवीन चन्द्र पन्त)

प्रभागीय वनाधिकारी,

लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार

पत्रांक 871 /12-1 दिनांकित

प्रतिलिपि- सहायक महानिरीक्षक व वन (केन्द्रीय), भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय २५ सुभाष रोड, देहरादून को उनके उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

प्रतिलिपि- प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्दिरा नगर,फॉरेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को उनके उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

(नवीन चन्द्र पन्त)

प्रभागीय वनाधिकारी,


लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार

o/c

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि लीजधारक द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 एवं वन संरक्षण(संवर्धन) अधिनियम 2023 का उल्लंघन नहीं किया गया है।




प्रभागीय वनाधिकारी
लैन्सडोन वन प्रभाग
कोटद्वार (मन्वाला)